प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

वाहन चालक ग्रेड–3 से
वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर
पदोन्नति सम्बन्धी विवरण।

चयन वर्ष 2011–12

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर वाहन चालक ग्रेड–3 के पद से वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 26/06/2012 (पताका–1) को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 वेतनमान रू0 5200–20200 + ग्रेड–पे 2800 (पुराना रू0 4500–125–7000) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुपालन में क्षेत्रों में वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों के सापेक्ष निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती वर्तमान में कार्यरत कार्यालयों में ही की जानी समीचीन होगी :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
	सामान्य वर्ग :–			
01.	श्री सुरेन्द्र सिंह	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), श्रीनगर	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), श्रीनगर	स्थानीय
02.	श्री डोरीलाल पाठक	नि0शाखा रामनगर	नि0शाखा रामनगर	स्थानीय
03.	श्री कुशाल सिंह	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), उत्तरकाशी	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), उत्तरकाशी	स्थानीय
04.	श्री मो0 रमजान अली	नि0शाखा0 नैनीताल	नि0शाखा0 नैनीताल	स्थानीय
05.	श्री राजेश सिंह	नि0शाखा0 रूद्रप्रयाग	नि0शाखा0 रूद्रप्रयाग	स्थानीय
06.	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	प्रधान कार्यालय देहरादून	प्रधान कार्यालय देहरादून	स्थानीय

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 07.07.2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त समस्त कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।

कृपया उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है।कृ0 अवलोकन करना चाहेंगे।

अधि0अभि0(कार्मिक)

29/6/12

महाप्रबन्धक (भू0/सर्वे0)/मुख्य अभियन्ता (मु0)

अनुमोदनार्थ

प्रबन्ध निदेशक महोदय

अनुमोदित

27/06/12

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के वेतनमान रू0 5200–20200 + ग्रेड–पे 2800 (पुराना 4500–125–7000) में रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2010–2011 हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :–

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनॉक 12.12.2006 **(पताका–1)** द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वाहन चालकों के 72 पद स्वीकृत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 251/उन्नीस(1)/2014–(92अधि0)/02, दिनॉक 04.03.2011 **(पताका–2)** के द्वारा स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे के क्रमांक–33 पर अंकित वाहन चालकों के 72 पदों को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 106/xxxii(7)/2006, दिनॉक 03 जुलाई, 2006 **(पताका–3)** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :–

क्र0 सं0	ग्रेड/पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पदों का प्रतिशत	स्वीकृत 72 पदों का प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण
1.	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590	35 प्रतिशत	25
2.	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000	30 प्रतिशत	21
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000	30 प्रतिशत	22
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000	05 प्रतिशत	4
			योग –	**72**

शासन द्वारा उक्तानुसार वर्गीकृत किये जाने के उपरान्त वाहन चालकों के कुल स्वीकृत **72** पदों के सापेक्ष वाहन चालक ग्रेड–2 के 30 प्रतिशत के आधार पर वेतनमान रू0 5200–20200 + ग्रेड–पे 2800 (पुराना 4500–125–7000) में **22** स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में वाहन चालक ग्रेड–2 के **15** वाहन चालक कार्यरत हैं। अतः उक्त ग्रेड में वाहन चालकों के 07 पद रिक्त है। कुल रिक्त 07 पदों के सापेक्ष ग्रेड–3 में कार्यरत पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नत कर तैनाती की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

वाहन चालक ग्रेड–2 की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विवरण	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	टिप्पणी
01	स्वीकृत पद	22	17	05	0	
02	कार्यरत	15	11	04	0	
	योग (कुल रिक्त पद)	**07**	**06**	**01**	**0**	

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1144/का–2/2001–53(1)/2001, दिनॉक 18 जुलाई, 2001 द्वारा अनुसूचित जाति हेतु 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत कुल **23** प्रतिशत् का आरक्षण निर्धारित है। अतः वाहन चालक ग्रेड–2 के कुल निर्धारित/स्वीकृत **22** पदों के सापेक्ष रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के **19** प्रतिशत् के अन्तर्गत **05** पद तथा अनुसूचित जनजाति के **04** प्रतिशत् के अन्तर्गत कोई पद नहीं बनता है।

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 17 पदों के विरूद्ध 11 कर्मी कार्यरत हैं, तथा 06 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जाति के 05 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 04 कर्मी कार्यरत हैं तथा 01 पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है, और न ही कोई कार्मिक कार्यरत है।

इस प्रकार मात्र सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत वर्तमान में 06 रिक्त पद एवं अनुसूचित जाति का 01 रिक्त पद कुल 06 + 01 = 07 रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

3. नियुक्ति का श्रोत :–

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढॉचे के गठन के उपरान्त उपरोक्त कार्मिकों की सेवा के लिए पृथक सेवा शर्तो का विनिमय नही हुआ है, चूँकि उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते वही हैं जो उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2838/बोर्ड बैठक, दिनॉक 24.07.2006 (पताका–4) निर्गत है।

उत्तर प्रदेश जल निगम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटरकार एवं जीप/ट्रक/ट्रेक्टर ड्राईवरों की सेवा विनियमावली, 1980 के पृष्ठ–9 पदोन्नति प्रक्रिया भाग–6 के बिन्दु–20 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का आधार उपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता निर्धारित है। वाहन चालकों की नई सेवाविनियमावली का प्रारूप उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है तथा शासन द्वारा नई सेवाविनियमावली का प्रख्यापन किया जाना है।

शासनादेश संख्या 108/XXXVII(7)/2006, दिनॉक 03 जुलाई, 2006 में क्रमांक–3 के अनुसार ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 6 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवा को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया है, का उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 485/अधि0अनु0/अधि0 वाहन चालक/02, दिनॉक 18.03.2011 (पताका–5) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत समस्त वाहन चालकों का ट्रेड टेस्ट लिये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, यॉत्रिक मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी, जिसके परिपेक्ष्य में उनके द्वारा अपने पत्र संख्या 1513/अधि0–3/52, दिनॉक 23.04.2011 (पताका–6) के द्वारा वाहन चालकों के ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गयी है जिसमें सभी वाहन चालकों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु वाहन चालक ग्रेड–3 के प्रद पर 15 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने का प्राविधान है, जिसमें से निम्न तालिका–1 के क्रमांक–01 एवं 02 में अंकित कार्मिकों द्वारा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है। क्रमांक–03 से क्रमांक–10 तक अंकित कार्मिकों की सेवा अवधि चयन वर्ष के प्रारम्भ (01–07–2011) में कॉलम–5 में दर्शाई गई है।

तालिका–1

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति से सम्बन्धित	नियमित अधिष्ठान में नियमितिकरण की तिथि	कुल सेवा अवधि का विवरण (1 जुलाई 2011)	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01	श्री सुरेन्द्र सिंह	पि0जाति	01-02-1995	16 वर्ष 05 माह	निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण
02	श्री छोटेलाल पाठक	सामान्य	01-05-1995	16 वर्ष 03 माह	निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण
03	श्री कुशाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
04	श्री मो0 रमजान अली	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
05	श्री राजेश सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
06	श्री सुरेन्द सिंह असवाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
07	श्री राजेन्द्र सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
08	श्री कुंवर सिंह गुंसाई	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
09	श्री हरिश्चन्द्र काण्डपाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
10	श्री हरपाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 1244/उन्तीस(1)/2011 (36अधि0)/11, दिनाँक 13.10.2011 (पताका–7) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम में विभागीय सेवा विनियमावली में छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है, जिसके सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दिनाँक 13.06.2012 (पताका–8) द्वारा निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु आवश्यक सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान की गयी है।

तालिका–2

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	जाति	नियमित अधिष्ठान में नियमितिकरण की तिथि	कुल सेवा अवधि का विवरण (1 जुलाई 2011)	अवधि जिस हेतु शिथिलता प्रदान की गयी है।
01	02	03	04	05	06
01	श्री कुशाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
02	श्री मो0 रमजान अली	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
03	श्री राजेश सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
04	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह

...DRIVER June Grade 3 to 2\Ajenda Note.doc

इस प्रकार **तालिका–2** में इंगित क्रमांक–01 से 04 तक के प्रत्येक कार्मिकों को प्रथम बार पदोन्नति हेतु सेवा अवधि में 01 वर्ष 05 माह की शिथिलता प्रदान की गयी है, जिससे इनके नियमित अधिष्ठान की सेवा को जोड़ते हुए इनके द्वारा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली जाती है तथा वे पदोन्नति हेतु पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं।

संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010-(35अधि0)/07, दिनाँक 17.05.2010 (**पताका–9**) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित की गयी है, जो प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग–प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनाँक 21.05.2010 (**पताका–10**) के द्वारा प्रसारित की गयी है।

वाहन चालक ग्रेड–2 का वेतनमान रू0 5200–20200 + ग्रेड–पे 2800 (पुराना 4500–125–7000) स्वीकृत किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अधीन मुख्य सहायक के पद के समकक्ष समान वेतनमान है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जब तक शासन द्वारा वाहन चालकों की नई सेवाविनियमावली विभाग में प्रख्यापित नहीं हो जाती है, तब तक वाहन चालकों के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से की जानी समीचीन होगी।

<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–</u>

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के विनियम–18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया है :–

18 (1) – सेवा में लिपिकीय सेवा में पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून – अध्यक्ष
(दो) महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून – सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून – सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून – सदस्य सचिव
(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई – सदस्य अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़ी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

<u>टिप्पणी :–</u> वर्तमान में उक्त क्रमांक–4 पर अंकित अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा देखा जा रहा है।

18 (2) :– नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चारित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

18 (3) :– चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

18 (4) :– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

<u>पदोन्नति के लिए मापदण्ड</u> :–

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

<u>टिप्पणी</u> :–

1. चयन समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अनिवार्य है।
2. चयन समिति उन सभी अभ्यर्थियों, जो पदोन्नति के पात्र हैं, के मामले में उनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा ज्येष्ठता सूची में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उच्च पद जिसके लिए वह अभ्यर्थी हैं, पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे।
3. चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा इस सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियाँ की जायेगी। यह सूची चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत (दिनॉक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक) मान्य होगी।

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनॉक 08.07.2009 (पताका–11) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली–2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनॉक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

<u>वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियो की सूची</u> :–

राज्य अधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1194/42–1–2000–13/15/91, दिनॉक 19 मई, 2001 (पताका–12) के प्रस्तर–5 में उल्लेखित श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठता पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था हैं, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की गई है।

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5

(2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गुना किन्तु कम से कम 10

7

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वाहन चालक ग्रेड–3 के स्वीकृत 22 पदों के सापेक्ष कुल 15 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से कुल 04 अनुसूचित जाति के कर्मी भी कार्यरत हैं। अतः 5 से अधिक रिक्तियों के लिए उपलब्ध कुल 10 वाहन चालकों को ही पात्रता सूची में लिया गया है।

उक्तानुसार वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत वांछित सूची निम्नानुसार है :–

(क) वाहन चालक ग्रेड–2 की वरिष्ठता/कार्यरत सूची।
(ख) वाहन चालक ग्रेड–3 वरिष्ठता/कार्यरत सूची। (पताका–13)
(ग) वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका–14)।
(घ) वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों सेवा विवरण (पताका–15)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण :–

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का–2/2001 53(1)/2001 दिनॉक 18 जुलाई, 2001 (पताका–16) द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001 (पताका–17) के अनुसार वाहन चालक ग्रेड–2 के कुल 22 स्वीकृत पद के सापेक्ष 19 प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति के 05 पदों के सापेक्ष 04 पद भरे हुए हैं तथा 01 पद रिक्त हैं। रिक्त पद के विरूद्ध कोई अनुसूचित जाति का कार्मिक कार्यरत नहीं है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग में रोस्टर के अनुसार 04 प्रतिशत् के आधार पर कोई पद नहीं बनता है और न ही कोई कार्मिक कार्यरत है।

गोपनीय प्रतिवेदन का संकलन :–

पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रविष्टियों का सार–पत्र (पताका–18)।

पात्र अभ्यर्थियों के विरूद्ध शिकायत अनुभाग की अनुशासनिक/प्रशासनिक जॉच से सम्बन्धित विवरण (पताका–19) संलग्न है। सूची के अनुसार किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/प्रशासनिक जॉच प्रचलित नहीं है।

चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून की अध्यक्षता में दिनॉक 26/06/2012 को आहूत गठित चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनॉक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वाहन चालकों के 72 पद स्वीकृत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 251/उन्तीस(1)/2014–(92अधि0)/02, दिनॉक 04.03.2011 के द्वारा स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे के क्रमांक–33 पर अंकित वाहन चालकों के 72 पदों को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 108/xxxii(7)/2006, दिनॉक 03 जुलाई, 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :–

क्र0 सं0	ग्रेड/पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पदों का प्रतिशत	स्वीकृत 72 पदों का प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण
1.	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590	35 प्रतिशत	25
2.	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000	30 प्रतिशत	21
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000	30 प्रतिशत	22
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000	05 प्रतिशत	4
			योग –	72

वर्तमान में शासन द्वारा वर्गीकृत किये जाने के उपरान्त वाहन चालकों के कुल स्वीकृत 72 पदों के सापेक्ष वाहन चालक ग्रेड–2 के 30 प्रतिशत के आधार पर वेतनमान रू0 5200–20200 + ग्रेड–पे 2800 (पुराना 4500–125–7000) में 22 पद बनते हैं। विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में वर्तमान में वाहन चालक ग्रेड–2 के 15 वाहन चालक कार्यरत हैं। अतः 07 पद रिक्त हैं, जिनमें से 06 पद सामान्य वर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जाति वर्ग का है। अनुसूचित जाति वर्ग का कोई अभ्यर्थी कार्यरत न होने के कारण पद रिक्त रखा जाना है। इस प्रकार सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत कुल कुल 06 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

वाहन चालक ग्रेड–2 की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विवरण	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	टिप्पणी
01	स्वीकृत पद	22	17	05	0	
02	कार्यरत	15	11	04	0	
	योग (कुल रिक्त पद)	**07**	**06**	**01**	**0**	

उक्त रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं0 80/मु0अ0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/12, दिनॉक 25/06/2012 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री एस0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – अध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – सदस्य
3. श्री एस0के0 गोयल, महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – सदस्य
4. श्री पी0के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – सदस्य सचिव

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :-

1. वाहन चालकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची।
2. वाहन चालक ग्रेड-3 की कार्यरत सूची।
3. वाहन चालक ग्रेड-2 की कार्यरत सूची।
4. वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों की सूची।
5. पात्रता क्षेत्र के समस्त वाहन चालक ग्रेड-3 के विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन का सार।
6. पात्र वाहन चालक ग्रेड-3 के विरूद्ध अनुशासनिक/प्रशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
7. शासनादेश संख्या 251/उन्तीस(1)/2014-(92अधि0)/02. दिनाँक 04.03.2011
8. शासनादेश संख्या 108/xxxii(7)/2006, दिनाँक 03 जुलाई, 2006
9. उत्तर प्रदेश जल निगम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटरकार एवं जीप/ट्रक/ट्रेक्टर ड्राईवरों की सेवा विनियमावली, 1980
10. कार्यालय ज्ञाप संख्या 485/अधि0अनु0/अधि0 वाहन चालक/02, दिनाँक 18.03.2011
11. पत्र संख्या 1513/अधि0-3/52, दिनाँक 23.04.2011
12. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली-2010 जो कार्यालय ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनाँक 21.05.2010 के द्वारा प्रसारित है, के विनियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-18 के उपनियम-1 से 4 में।
13. ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित उत्तरांखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 479/XXX(2)/2009-3(1)/2007, दिनाँक 08 जुलाई 2009
14. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2/2001-53 (1)/2001 दिनाँक 18.07.2001
15. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001 दिनाँक 31.08.2001
16. शासनादेश संख्या 1244/उन्तीस(1)/2011-(36अधि0)11, दिनाँक 13.10.2011

कार्यालय ज्ञाप संख्या 485/अधि0अनु0/अधि0 वाहन चालक/02, दिनाँक 18.03.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत समस्त वाहन चालकों का ट्रेड टेस्ट लिये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, यॉत्रिक मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी, जिसके परिपेक्ष्य में पत्र संख्या 1513/अधि0-3/52, दिनाँक 23.04.2011 के द्वारा ट्रेड टेस्ट में सभी वाहन चालकों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

शासनादेश संख्या 108/xxvii(7)/2006, दिनाँक 03 जुलाई 2006 में निहित प्राविधानानुसार वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति हेतु वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर 15 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने का प्राविधान है, जिसमें से निम्न **तालिका-1** के क्रमांक-01 एवं 02 में अंकित कार्मिकों द्वारा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है। क्रमांक-03 से 10 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में विवरण **तालिका-1** में इंगित है।

तालिका–1

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति से सम्बन्धित	निर्धारित अधिष्ठान में नियमितिकरण की तिथि	कुल सेवा अवधि का विवरण (1 जुलाई 2011)	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01	श्री सुरेन्द्र सिंह	पि0जाति	01-02-1995	16 वर्ष 05 माह	निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण
02	श्री डोरीलाल पाठक	सामान्य	01-05-1995	16 वर्ष 03 माह	निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण
03	श्री कुशाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
04	श्री मो0 रमजान अली	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
05	श्री राजेश सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
06	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
07	श्री राजेन्द्र सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
08	श्री कुंदर सिंह गुंसाई	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
09	श्री हरिश्चन्द्र काण्डपाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम
10	श्री हरपाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह की अवधि कम

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 1244/उन्तीस(1)/2011 (36अधि0)/11, दिनॉक 13.10.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम में विभागीय सेवा विनियमावली में छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है, जिसके सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दिनॉक 13.06.2012 द्वारा निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु शिथिलता अवधि प्रदान की गयी है।

तालिका–2

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	जाति	नियमित अधिष्ठान में नियमितिकरण की तिथि	कुल सेवा अवधि का विवरण (1 जुलाई 2011)	अवधि जिस हेतु शिथिलता प्रदान की गयी है।
01	02	03	04	05	06
01	श्री कुशाल सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
02	श्री मो0 रमजान अली	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
03	श्री राजेश सिंह	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह
04	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	सामान्य	16-12-1997	13 वर्ष 07 माह	01 वर्ष 05 माह

इस प्रकार **तालिका–2** में इंगित क्रमांक–01 से 04 तक के प्रत्येक कार्मिकों को प्रथम बार पदोन्नति हेतु सेवा अवधि में 01 वर्ष 05 माह की शिथिलता प्रदान की गयी है, जिससे इनके नियमित अधिष्ठान की तिथि की सेवा को जोड़ते हुए इनके द्वारा 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण हो जाती है तथा वे पदोन्नति हेतु पात्रता की श्रेणी में आ गये हैं।

वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी :–

1. पात्रता सूची के सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नानुसार वरिष्ठता क्रम में पात्र अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाते हुए चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–15, 17, 18, 19, 20 एवं 22)

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम
01	श्री सुरेन्द्र सिंह	वाहन चालक ग्रेड–3
02	श्री डोरीलाल पाठक	वाहन चालक ग्रेड–3
03	श्री कुशाल सिंह	वाहन चालक ग्रेड–3
04	श्री मो0 रमजान अली	वाहन चालक ग्रेड–3
05	श्री राजेश सिंह	वाहन चालक ग्रेड–3
06	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	वाहन चालक ग्रेड–3

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 17 पदों के विरूद्ध मात्र 11 कार्मिक ही कार्यरत हैं, जिनमें से 06 कार्मिकों का चयन सामान्य संवर्ग में तथा अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 01 पद का चयन किया जाना है, किन्तु अनुसूचित जाति वर्ग का कोई अभ्यर्थी कार्यरत न होने के कारण 01 पद रिक्त रखा गया है।

2. सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 25 प्रतिशत् अतिरक्त पैनल के रूप में किसी भी कार्मिक का पदोन्नति हेतु चयन नहीं किया गया।

3. आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के 05 पदों के विरूद्ध 04 कर्मी पूर्व से ही कार्यरत है। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–01, 06, 11 एवं 16) शेष 01 पद पर कोई कार्मिक कार्यरत न होने के कारण पद रिक्त रखा गया है। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–21)

4. आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई पद नहीं बनता है, एवं न ही कोई कार्मिक कार्यरत है।

उक्त चयन वर्ष 2011–2012 के लिए मान्य होगा।

26/6/12

(पी0के0 गोयल)
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

2/6

(एस0के0 गोयल)
महाप्रबन्धक (भू0 / सर्वे0)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

26/6

(राजेश्वर प्रसाद)
महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

26/6/12

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0) एवं अध्यक्ष
चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

कार्यालय : 2678078
: 2672404
फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 1010 / अधि0अनु0 – अधि0 वाहन चालक ग्रेड-2 / 10 दिनांक 30 / 06 / 12

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-3 की पदोन्नति वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200 + ग्रेड-पे 2800 (पुराना रू0 4500-125-7000) में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालयों में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सामान्य वर्ग :-			
01.	श्री सुरेन्द्र सिंह	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), श्रीनगर	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), श्रीनगर	स्थानीय
02.	श्री छोटेलाल पाठक	नि0शाखा रामनगर	नि0शाखा रामनगर	स्थानीय
03.	श्री कुशाल सिंह	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), उत्तरकाशी	नि0एवंअनु0 इकाई (गंगा), उत्तरकाशी	स्थानीय
04.	श्री मो0 रमजान अली	नि0शाखा0 नैनीताल	नि0शाखा0 नैनीताल	स्थानीय
05.	श्री राजेश सिंह	नि0शाखा0 रूद्रप्रयाग	नि0शाखा0 रूद्रप्रयाग	स्थानीय
06.	श्री सुरेन्द्र सिंह असवाल	प्रधान कार्यालय देहरादून	प्रधान कार्यालय देहरादून	स्थानीय

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 07.07.2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त समस्त कार्मिकों की पदोन्नति / तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक / वित्त निदेशक / मुख्य अभियन्ता (मु0),उ0पे0नि0, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल / कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी / नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)